पंडित पलायन हो या जलता गोधरा, हिंदुत्व को क्लीन चिट देना ही राज धर्म!

गोधरा अग्नि संहार अपील में अहमदाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के हालिया फैसले ने किसी बड़े रहस्य से पर्दा नहीं उठाया जब उन्होंने घोषित किया कि 26 फरवरी 2002 के लोमहर्षक कांड को राज्य सरकार और रेल मंत्रालय की आपराधिक चूक ने संभव किया था. लिहाजा, ग्यारह दोषियों की फांसी को आजीवन कारावास की सजा में बदलने के साथ अदालत ने निर्देश दिया कि हर मृतक के वारिसों को राज्य दस लाख का हर्जाना दे.

विकास नारायण राय

याद कीजिये, 1989-90 में कश्मीर से आतंकित पंडितों का अमानवीय विस्थापन भी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 1999 में दिए गये फैसले में कुछ इसी तरह, राज्य की जवाबदेही के परिप्रेक्ष्य में देखा गया था. आयोग ने अपने निष्कर्ष में उस दौर के आने में राज्य की निष्क्रिय भूमिका को आड़े हाथ लिया और उसे विस्थापितों को हर्जाना देने का आदेश पारित किया.

गोधरा के समय गुजरात राज्य की कानून-व्यवस्था के सर्वेसर्वा नरेंद्र मोदी नाम के मुख्यमंत्री और अमित शाह नाम के गृह मंत्री रहे जबकि रेल मंत्रालय के मुखिया होते थे फिलहाल उन दोनों के नये यार नीतीश कुमार. दोनों मामलों में न्याय का अगला स्वाभाविक चरण होना चाहिए था सम्बंधित राज्य संचालकों की कानूनी जवाबदेही तय करना. यहाँ हिंदुत्व की राजनीति आड़े आ गयी और न्यायपालिका बेबस हो गयी.

इसी तरह, घाटी में आतंकवाद के कुटिल निशाने पर आये पंडितों के कश्मीर से बदहवास पलायन के समय एक जगमोहन नामधारी नौकरशाह राज्य के गवर्नर होते थे और केन्द्रीय गृह मंत्री के पद पर आसीन थे मुफ्ती मोहम्मद सईद नामक कश्मीरी नेता. जगमोहन को हाल में आरएसएस ने मोदी की भारत सरकार से देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण दिलाया है. मुफ़्ती को आरएसएस ने कश्मीर का मुख्यमंत्री बना कर रखा और उनकी मृत्यु के बाद से उनकी बेटी महबूबा को. जवाबदेही की बात गयी भाड़ में!

मोदी और जगमोहन की उग्र छवि के चलते उनके हिंदुत्ववादी पैरोकारों में घोर रक्षात्मक प्रतिवाद का चलन रहा है. उनके अपराधी शासन को सवाल के घेरे में लाने पर लगता है जैसे गोधरा पीड़ितों और विस्थापित पंडितों को ही त्रासदी का जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो. क्या ये दो अलग आयाम नहीं हैं? क्या मोदी और जगमोहन दोनों को अपनी गंभीर प्रशासनिक कमियों को ढंकने के लिए राज्य पोषित बदनाम हिंसा का सहारा नहीं लेना पड़ा ?

मशहूर है, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को राज धर्म की याद दिलाई थी. जगमोहवहां न को भी पंडितों के विस्थापन के बाद, जल्द ही कश्मीर से हटना पड़ा, कभी न वापस होने के लिये. मध्य युग के सामंती ज़माने में बेशक कल्पनातीत नहीं रहा होगा कि एक ओर जलता हुआ रोम था और दूसरी ओर बांसुरी बजाने में मगन सम्राट नीरो. लेकिन मोदियों और शाहों, जगमोहनों और मुफ्तियों से सवाल तक न किया जाना, भारतीय लोकतंत्र के स्तंभों, विशेषकर न्यायपालिका के कमजोर होने का लक्षण माना जायेगा.

मोदी और जगमोहन की उग्र छवि के चलते उनके हिंदुत्ववादी पैरोकारों में घोर रक्षात्मक प्रतिवाद का चलन रहा है. उनके अपराधी शासन को सवाल के घेरे में लाने पर लगता है जैसे गोधरा पीड़ितों और विस्थापित पंडितों को ही त्रासदी का जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो. क्या ये दो अलग आयाम नहीं हैं? क्या मोदी और जगमोहन दोनों को अपनी गंभीर प्रशासनिक कमियों को ढंकने के लिए राज्य पोषित बदनाम हिंसा का सहारा नहीं लेना पड़ा? किसी में भी इतनी समझ तो होगी ही कि हत्या, लूट और बलात्कार की लगातार धमकियों के सामने पूरी तरह विवश हो जाने पर ही कश्मीरी पंडितों ने अपनी पुरखों की धरती से पलायन किया होगा. यानी जब राज्य का पलायन पहले ही हो गया हो और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया हो. राज्य का यही पलायन गोधरा में भी नजर आया, जहाँ इंटेलिजेंस रपटों और साक्षात तनाव के बावजूद, सुरक्षा स्थिति दृढ़ करने की सरकारी पहल नदारद रही. आतंक और गुंडागर्दी के खुले खेल में राज्य संचालकों की भूमिका पर सवाल उठने ही चाहिए!

हिंदुत्व की राजनीति अमानवीयता की भी राजनीति है. गोधरा के नृशंस प्रकरण को, जिसमें 58 स्त्री-पुरुष-बच्चों ने जान गँवाई, भाजपा ने चुनाव दर चुनाव भुनाया है. हालाँकि तब भी मोदी की राज्य सरकार ने मृतकों के वारिसों को पहले घोषित मात्र दो लाख रुपया हर्जाना घटाकर एक लाख कर देना ही ठीक समझा था. यह इसलिए, क्योंकि गोधरा क्रम में संपन्न हुए गुजरात पोग्राम के सैकड़ों मुस्लिम मृतकों के वारिसों को एक लाख हर्जाना ही घोषित किया गया था.

पलायित कश्मीरी पंडितों की पीछे छूटी अचल संपत्ति को औने-पौने बिक्री से बचाने और उसे हड़पने पर उतारू तत्वों से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने 1997 में 'माइग्रेंट इम्मूवेबल प्रोपर्टी एक्ट' बनाया था. इसके अंतर्गत सम्बंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नर कस्टोडियन बनाये गये थे. हालाँकि, एक्ट पर अमल की जमीनी सच्चाई, अटल राज से आज मोदी राज तक, एकदम विपरीत रही है. न केवल औने-पौने बिक्री नहीं रुकी, न केवल जमीनों का हड़पना चलता रहा, बल्कि स्वयं सरकारी विभागों ने कितनी ही ऐसी जमीनों पर बिना मालिकों की अनुमति के भवन बना लिए हैं.

शासन कर्ताओं की आपराधिक निष्क्रियता एक दिन की देन नहीं होती. इसके पीछे उनकी वर्षों की षड्यंत्रकारी सक्रियता का बड़ा हाथ होता है. बाबरी मस्जिद विध्वंस में कल्याण सिंह और नरसिम्हा राव की राजनीतिक जवाबदेही पर खासी बहस हुयी होगी पर उनकी आपराधिक चुप्पी की जवाबदेही पर शायद ही. 1984 के सिख संहार को एक दिन का प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं, वर्षों का इंदिरा-जैल सिंह संचालित हिन्दू-सिख ध्रुवीकरण उकसा रहा था.

तर्क दिया जाता है कि 19 जनवरी 1990 की रात शुरू हुये पंडितों के विवश पलायन के लिए जगमोहन को जवाबदेह कैसे कहा जा सकता है जबकि उसे गवर्नर लगे अभी एक दिन ही हुआ था. क्या सचमुच? जगमोहन पहले अप्रैल 1984 से जुलाई 1989 तक कश्मीर का गवर्नर रह चुका था और केंद्र की कांग्रेसी सरकार के इशारे पर राज्य में कठपुतली लोकतंत्र के रास्ते पर चलते हुए, आतंकी अलगाववादियों की जमीन को पर्याप्त खाद-पानी पहुंचा चुका था. दिसंबर 1989 में मुफ़्ती की बेटी के अपहरण की पृष्ठभूमि में उसे दोबारा गवर्नर लगाया गया. लिहाजा, 19 जनवरी की जगमोहन की निष्क्रियता एक दिन की नहीं बल्कि पांच वर्षों की आपराधिक सक्रियता का विस्तार थी.

भारत में लोकतंत्र की सेहत के लिए, हिंदुत्व राजनीति के समीकरण में फिट बैठने वाले प्रकरणों का लेखा-जोखा बताएगा कि इन मामलों की पटकथा प्रशासनिक अकर्मण्यता की स्याही से ही नहीं, शासकों की 'सक्रिय' निष्क्रिय कलम से भी लिखी मिलेगी. इस वर्ष कश्मीरी पंडितों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पलायन से जुड़े आपराधिक आयामों की जांच का आदेश देने से इनकार करने में बोगस तर्क का सहारा लिया कि 27 साल बाद सबूत मिलना संभव नहीं. जगमोहन को पद्म विभूषण देने वाली मोदी सरकार स्वयं भी जांच का आदेश दे सकती है, बशर्ते यह कवायद हिंदुत्व की राजनीति को माफिक आये. भविष्य में, जब भी गोधरा कांड की अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी जायेगी, एक बार पुन: शासकों की जवाब देही की बॉल न्यायपालिका के पाले में होगी.

साभार : मीडिया विजिल

गतांक की चीर-फाड़

नारा बेटी बचाने का, काम बेटी पिटवाने का

मज़दूर मोर्चा के 1-15 अक्तूबर 2017 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय समसामयिक व ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं। लेख 'एनआईए के नये चीफ़ योगेश चन्द्र मोदी का एजेंडा पुराने चीफ़ शरद का बिका बकाया काम पूरा करेंगे' में एनआईए के नव नियुक्त प्रमुख योगेश चन्द्र मोदी की परिवारिक पृष्ठभूमि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति निष्ठा व कटिबद्धता तथा संघ परिवार से उनके अटूट संबंधों का पूरा पर्दाफ़ास किया गया है।

एनआईए के वर्तमान प्रमुख शरद कुमार ने मालेगांव बम कांड में आरोपित संघ परिवार के कट्टर हिन्दुत्ववादी लोगों को जमानत पर छुड़वाया था, परंतु उन्हें अदालत से बरी भी करवाना है जिसके लिये प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने पुराने भरोसेमंद अधिकारी वाई सी मोदी को एनआईए का प्रमुख बनाया है। मालेगांव बम कांड जैसे अन्य मामले भी हैं जिनमें आरोपित संघ परिवार से संबन्धित लोगों को छुड़वाना है और जो, 'भगवा आतंक' का धब्बा उनके चेहरे पर लगा हुआ है उससे छुटकारा पाना है।

इसका उदाहरण है कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जयंत पटेल का इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला जिससे कि उनको कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न बनाना पड़े। जस्टिस पटेल जब गुजरात हाई कोर्ट के जज थे तब उन्होंने इशरत जहां के फ़र्जी मुठभेड़ में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। एक टेलीविज़न शो में चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जस्टिस पटेल के तबादले के संदर्भ में टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार के समर्थक थे।

जनता पार्टी सरकार के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जब सूचना व संचार मंत्री बने तब उन्होंने मीडिया में संघ परिवार से संबन्धित व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शुरूआत की जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में भी जारी रही। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री व अमित शाह के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तो इस काम को बड़ी तेजी से किया जा रहा है।

दूरदर्शन को 'हिज मोदी वाईस' बनाकर उसका महत्व ही समाप्त कर दिया गया है। वहीं निजी चैनलों पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण करके उनकी आज़ादी समाप्त करने का प्रयास लगातार जारी है। सोसल मीडिया पर भी अंकुश लगाने का प्रयास जारी है। यह घातक प्रवृति लोकतंत्र के लिये खतरनाक है। इसका पूरा खुलासा लेख 'भारत में मीडिया के बुरे दिन... शुरू होते हैं अब' में किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल से भी अधिक कठोर, हिंसक व तानाशाही पूर्ण प्रेस की आजादी को बचाने के लिये सभी आजाद ख्याल व प्रगतिशील लोगों को एकजुट होना होगा, छोटी-छोटी बैठकें आयोजित करके इनके कारनामों के विरुद्ध जनता को जागरूक करने तथा जो लोग जनता की आवाज बनकर खड़े होते हैं उनका हर तरह से साथ देकर इस संघर्ष को मज़बूत करना समय की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा सरकार के मंत्री व मुख्यमंत्री मीडिया में लड़कियों को पढाने के लिये प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और नारा भी खूब लगाया जा रहा है 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'। परंतु व्यवहार में संघ परिवार की समाज में पुरुष प्रधान व सामंतवादी सोच हावी हो रही है। संघ परिवार से संबन्धित व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाया जा रहा है जिनकी सोच यही है।

ये कुलपति अपने-अपने विश्व विद्यालयों में लड़कियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं देना चाहते तथा आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं करना चाहते जिसका लेख 'जेएनयू में सैक्सुएल हैरसमेन्ट कमेटी का पुनर्गठन-लड़कियों को नकेल डालने का एक और संघी प्रयास' में सटीक विश्लेषण किया गया है। वास्तव में चुनी हुई जी एस कैश कमेटी जिसके कारण वहां लड़कियां सुरक्षित वातावरण में रहती थी उस कमेटी का पुनर्गठन करके लड़कियों की सुरक्षा खतरे में आ गई है।

एक अन्य लेख 'कुलपति त्रिपाठी आरएसएस गुंडा गैंग के नेता' में उपयुक्त खुलासा किया गया है कि कुलपति त्रिपाठी बीएचयू में असामाजिक तत्वों को आश्रय देते हैं। इन तत्वों के विरुद्ध कुलपति द्वारा कार्यवाई न करने से इन गुंडों का साहस इतना बढ गया है कि वहां एक अन्य लड़के ने एक लड़की को उसके बालों से पकड़ कर खींचा और पीटा। मजबूर होकर अब लड़कियों इन शोहदों की हरकतों व प्रशासन के विरुद्ध अपना आक्रोश प्रगट करने लगी है। गौरतलब है राष्ट्रीय महिला आयोग ने पीड़ित लड़की व विरोध प्रदर्शन करने वाली लड़कियों की सुनवाई न करने का वी सी त्रिपाठी को दोषी पाया है। अब देखना है कि 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' का नारा लगाने वाली मोदी व योगी सरकार वी सी त्रिपाठी के विरुद्ध क्या कार्यवाई करती है।

सच्चा सौदा डेरा के प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम के धर्म और राजनीति के गठजोड़ व वोट राजनीति के आश्रय में फैले उसके व्यभिचारी आतंक के साम्राज्य तथा गोरखनाथ पंथ के मठाधीश महंत योगी आदित्यनाथ द्वारा साम्प्रदायिक आतंक के जरिए अपना सुरक्षित वोट बैंक बनाने का कुचक्र का लेख 'योगी भी राम रहीम की तरह न्याय की गड्डी चढेंगे' में सटीक विश्लेषण किया गया है। डॉक्यूमेंट्री 'भगवा आतंक' का हवाला देकर योगी आदित्य नाथ द्वारा साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने का पूरा खुलासा करने का साहसिक कार्य किया गया है। योगी की 'हिन्दू वाहिनी' द्वारा साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने और मारकाट में योगी की भड़काऊ अगवाई करने के आरोप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 अक्टूबर को कानूनी जवाबदेही तय होनी है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस मामले में अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई ठोस कार्यवाई नहीं की थी।

लेख 'शहीदों की फांसी' एतिहासिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण तथा प्रेरणादायक है। महान क्रांतिकारी भगतसिंह के क्रांति के प्रति विचार स्पष्ट किए गए हैं, जिसका अर्थ है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना और उसकी जगह समाजवाद को लाना जिसके लिये उनकी सरकारी व्यवस्था से लड़ाई जारी है। इसके अतिरिक्त लेख में भगत सिंह को फांसी के लिये ले जाने के दौरान भगत सिंह, जेल व राजनैतिक बंदियों की स्थिति व तत्कालीन माहौल का वास्तविक व निष्पक्ष विवरण किया गया है जो पाठकों के लिये प्रेरणादायक रहेगा।

इस अंक में प्रकाशित अन्य सभी लेख महत्वपूर्ण तथा प्रशंसनीय हैं। लेख 'शहीदों की फांसी' इतिहास के विद्यार्थियों तथा जागरूक पाठकों के लिये अति महत्वपूर्ण है जिसका विवरण उन्हें इतिहास की सामान्य पुस्तकों में मुश्किल से उपलब्ध होगा। इस लेख में मज़दूर मोर्चा का अभिलेखागरीय महत्व बढ गया है, इसलिये यह अंक इतिहास के विद्यार्थियों तथा जागरूक पाठकों द्वारा सुरक्षित रखने लायक है। **-डॉ. जुगल किशोर गुप्ता**